प्रेस रिलीज

स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया **2023** रिपोर्ट: सामाजिक पहचान और श्रम बाजार के बदलते समीकरण

नई दिल्ली**, 20** सितम्बर **2023 :** अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा आज जारी की गई 'स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2023' रिपोर्ट में कहा गया है कि "1980 के दशक सेभारत मेंनियमित वेतन पाने वालों की तादाद में उल्लेखनीय इज़ाफ़ा हुआ है, जाति आधारित काम का विभाजन पहले से कम हुआ है और कार्यबल में लिंग आधारित विषमता घटी है। ये बदलाव उल्लेखनीय हैं, हालाँकि समस्याएँ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं।" इस रिपोर्ट के लिए सरकारी आँकड़ों के साथ-साथ एक नएप्राइमरी सर्वे के नतीजों का भी इस्तेमाल किया गया है। शोधकर्ताओं ने इंडिया वर्किंग सर्वे (IWS) नाम से यह सर्वेक्षण आईवेज (IWWAGE)और आईआईएम बेंगलूरु (IIM Bangalore)के साथ मिलकर किया था। इस रिपोर्ट में पिछले दशकों के दौरान हुई आर्थिक वृद्धि और संरचनात्मक बदलावों से सामाजिक असमानताओं पर पड़े प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि सभी मोर्चों पर अच्छी-ख़ासी प्रगति हुई है हालाँकि अभी भी बहुत लम्बा सफ़र तय करना है। पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है।

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इन्दु प्रसाद के मुताबिक़, ''दुनिया भर में रोज़गार पर किसी रिपोर्ट में अच्छी ख़बर एक दुर्लभ बात हो गई है। लिहाज़ा यह न केवल हौसला बढ़ाने वाली बल्कि उत्साहित करने की बात है कि 'स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2023' में रोज़गार और आजीविका के मोर्चे पर इतनी सारी अच्छी बातें सामने आई हैं। स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया में हमेशा की तरह शोध के प्रति पूरी गम्भीरता बरती गई है। रिपोर्ट बताती है कि रोज़गार के कई आयामों पर प्रगति हुई है जिसमें उनकी गुणवत्ता, समता और न्याय भी शामिल है। रिपोर्ट उन चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है जो अभी भी बनी हुई हैं।''

रिपोर्ट के मुख्य लेखक और अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर अमित बसोले का कहना है कि ''इस रिपोर्ट में अस्सी के दशक से एक लंबे समय तक हुई आर्थिक वृद्धि, ढाँचागत बदलावों और सामाजिक असमानताओं के बीच केसम्बन्धों का गहन विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, श्रम बाज़ार पर महामारी की वज़ह से पड़े अल्पकालिक प्रभावों का भी जायज़ा लिया गया है। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट ज़रूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराएगी जो हमें असमानताओं को और कम करने और वृद्धि को ज़्यादा समावेशी प्रक्रिया बनाने में समर्थ बनाएगी।''

स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट की ख़ास बातें :

ढाँचागत बदलावों में तेज़ी :नियमित वेतन पाने वालों का हिस्सा अस्सी केदशक से ठहराव का शिकार था मगर 2004 में इसमें तेज़ीसे इज़ाफा हुआ है। 2004 के बाद ऐसे पुरुष कामगारों की संख्या 18 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत और महिला कामगारों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुँच गई। 2004 से 2017 के बीच हर साल नियमित वेतन वाले लगभग 30 लाख रोज़गार सृजित हुए। 2017 से 2019 के बीच यह आँकड़ा 50 लाख प्रति वर्ष तक पहुँच गया। विकासदर में गिरावट और महामारी की वजह से 2019 के बाद नियमित वेतन वाली नौकरियों के सृजन में कमी आई है।

अपवर्ड मोबिलिटी में बढ़ोतरी: 2004 में दिहाड़ी मज़दूरों के बेटों में से 80 प्रतिशत से ज़्यादा खुद दिहाड़ी मज़दूर थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरी जातियों में एक जैसी स्थिति थी। मगर 2004 से 2018 के बीच इसमें बदलाव आने लगा। इस दौरान अन्य जातियों में यह संख्या 83 प्रतिशत से गिरकर 53 प्रतिशत रह गई थी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों में भी इस संख्या में गिरावट आयी, मगर कम हद तक (86 प्रतिशत से 76 प्रतिशत)।

जाति आधारित विभाजन में कमी:अस्सी के दशक की शुरुआत में साफ़-सफ़ाई और कचरा उठाने से सम्बन्धित कामों में अनुसूचित जाति के मज़दूरों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से पाँच गुना और चमड़ा उद्योग में उनकी संख्या आबादी के अनुपात में चार गुना ज़्यादा थी। बीते दशकों के दौरान इसमें तेज़ी से गिरावट आई है,हालाँकि 2021-22 तक यह स्थिति पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। 2021 में चमड़ा उद्योग में अनुसूचित जाति मज़दूरों का अनुपात आबादी के मुकाबले 1.4 गुना रह गया था। इसी तरह, 2011 में कूड़ा उठाने और सीवेज सम्बन्धी नौकरियों में अनुसूचित जाति की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में घटकर 1.6 गुना रह गई थी, हालाँकि बाद में यह थोड़ा सा बढ़ गई है।

आमदनी में जेंडर आधारित असमानता में कमी:साल 2004 में पुरुषों के मुकाबले महिला मज़दूरों का वेतन सत्तर प्रतिशत था। 2017 तक आते-आते यह फ़ासला कम हो गया और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आय 76 प्रतिशत हो गई। तब से 2021-22 तक यह फ़ासला इतना ही बना हुआ है।

आर्थिक वृद्धि और अच्छी नौकरियों का सम्बन्ध अभी भी कमज़ोर है नब्बे के दशक की शुरुआत से ही ग़ैर-कृषि जीडीपी वृद्धि दर (non-farm GDP growth rate) और ग़ैर-कृषि रोज़गार वृद्धि दर (non-farm employment growth rate) का रिश्ता बहुत कमज़ोर रहा है। इससे पता चलता है कि तेज वृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ उतनी ही तेज़ी से नौकरियाँ सृजित नहीं कर पातीं। फिर भी, 2004 से 2019 के बीच औसतन वृद्धि के साथ-साथ नौकरियों में भी इज़ाफ़ा हुआ। महामारी के कारण यह तालमेल पूरी तरह गड़बड़ा गया, जिसके चलते बदहाली से जुड़े रोज़गार (distress-led employment) में वृद्धि हुई।

बेरोज़गारी की दर में गिरावट के बावजूद भारी बेरोज़गारी:सभी शिक्षा वर्गों में कोविड के बाद बेरोज़गारी की दर कोविड से पहले के दौर के मुकाबले कम है। लेकिन, अभी भी उच्चशिक्षितों (स्नातकों) में बेरोज़गारी दर 15 प्रतिशत है और 25 वर्ष से कम उम्र के स्नातकों में यह 42 प्रतिशत है जो बहुत ही चिन्ता की बात है।

वर्षों तक गिरावट के बाद महिलाओं की श्रम सहभागिता दर (WPR) बढ़ रही है, लेकिन सही कारणों से नहीं :2004 से महिलाओं की रोज़गार दर या तो गिरी है या स्थिर रही है। मगर 2019 से महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से बढ़े स्व-रोज़गार ने महिलाओं की रोज़गार दर में इज़ाफ़ा किया है। कोविड से पहले 50 प्रतिशत महिलाएँ स्व-रोज़गार में थीं जबकि कोविड के बाद ऐसी महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत हो गई है। इससे स्व-रोज़गार से होने वाली आमदनी में भी गिरावट आई है। 2020 के लॉकडाउन के दो साल बाद भी स्व-रोज़गार आमदनी अप्रैल-जून 2019 की तिमाही में जितनी थी उसकी 85 प्रतिशत स्तर तक ही पहुँच पायी।

महिलाओं के रोज़गार में लिंग-आधारित मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं:जब पति की आमदनी बढ़ती है तब आमतौर पर महिलाओं की रोज़गार में होने की सम्भावना घटने लगती है। शहरी इलाकों में जब पति की आमदनी 40,000 रुपए प्रतिमाह से ऊपर चली जाती है तो पत्नी की नौकरी करने की सम्भावना फिर से बढ़ जाती है। (यानी पति की आमदनी के साथ पत्नी की नौकरी का सम्बन्ध यू-शेप वाला दिखाई देता है।) लिंग-आधारित मान्यताओं का असर पीढ़ी-दर-पीढ़ी दीखता है। जिन घरों में सास नहीं है उनकी तुलना में जिन घरों में सास है, लेकिन रोज़गार नहीं करतीं वहां बहुओं की रोज़गार में होने की सम्भावना 20 प्रतिशत (ग्रामीण) से 30 प्रतिशत (शहरी) कम है। मगर, यदि ख़ुद सास भी रोज़गार करती हैं तो उन परिवारों में बहुओं की रोज़गार में होने की सम्भावना 50 प्रतिशत (ग्रामीण) से 70 प्रतिशत (शहरी) ज़्यादा है।

एस सी और एस टी जातियों के उद्यमी अभी भी बहुत कम हैं:छोटे से छोटे उद्यमों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मालिकों की संख्या उनकी कार्यबल में उपस्थिति के अनुपात में काफ़ी कम है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन उद्यमों में 20 से ज़्यादा मज़दूर हैं उनका स्वामित्व बहुत विरले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास है। इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे उद्यमों का आकार बढ़ता है, उनमे ऊँची जातियों का स्वामित्व भी बढ़ने लगता है।

एसडब्ल्यूआई 2023 तथा पिछले सालों की रिर्पोटें हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि रिपोर्ट में जो विश्लेषण दिया गया है वह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी उपयोगी होगा।

मीडियाकर्मी अधिक जानकारी के लिए इनसे सम्पर्क कर सकते हैं:

अमित बसोले E: amit.basole@apu.edu.in | +91-9619649958

रोजा अब्राहम | E: rosa.abraham@apu.edu.in | +91-9901957009

सुमित जैन | E: sumit.jain@k2communications.in| +91 9886021715

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर्नाटक सरकार के अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत की गई थी। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन ने यूनिवर्सिटी को एक पूर्ण रूप से परोपकारी और लाभ निरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित किया है। यूनिवर्सिटी एक न्यायसंगत, समतापरक, मानवीय और टिकाऊ समाज की रचना के स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य से काम कर रही है।